

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/16213-20 दिनांक :- 27 सितम्बर 2013

शुद्धि-आदेश

विभाग के आदेश संख्या 235 दिनांक 19 सितम्बर 2013 द्वारा क्र.सं. 36 पर अवस्थित श्री माणकचन्द, लेखाकार (लिंक नं. 5999) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ जिला चूरु के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित पदस्थापन स्थान उप कोषालय सुजानगढ जिला चूरु के स्थान पर जिला परिवहन कार्यालय सुजानगढ जिला चूरु संशोधित किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 27/09/2013 के क्रम में जारी किए गए हैं।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/16213-20 दिनांक :- 27 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शारान सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुजानगढ जिला चूरु
3. उप कोषाधिकारी, सुजानगढ जिला चूरु
4. जिला परिवहन अधिकारी सुजानगढ जिला चूरु
5. श्री माणकचन्द, लेखाकार (लिंक नं. 5999) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ जिला चूरु
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. व्यक्तिगत पंजिका/रक्षित पंजिका


(कै. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)